भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

डाकघरः केट/PO: CAT
इन्दौर/Indore – 452013

संदर्भ : 14/05/2020–जी.ए.सी./५16 दिनांक 13/04/2021

परिपत्र

विषय :– दिनांक 12 अप्रैल 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक इन्दौर जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्र तथा महू कन्टोनमेंट एरिया क्षेत्र में कोरोना कफ्‍र्यू लागू किए जाने संबंधी।

कृपया उपरोक्त विषय पर कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर के आदेश संख्या 1737/री.ए.डी.एम./2021 दिनांक 11/04/2021 का संदर्भ लें।

2. इस संबंध में आरआरकेट के सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि उक्त आदेश के अनुसार दिनांक 12 अप्रैल 2021 से 16 अप्रैल 2021 अर्थात पांच दिवस कोरोना कफ्‍र्यू लागू किया गया है, अतः अत्यावश्यक कार्य होने पर ही मास्क को नाक तक सुरक्षित तरिके से पहन कर ही घर से बाहर निकलें तथा साथ ही साथ निर्धारित आयुवर्ग के लोगों को अनिवार्यतः वेक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, जिससे वे स्वयं तथा उनका परिवार संक्रमण से सुरक्षित हो सके।

3. केन्द्र सरकार के कार्यालय कोरोना कफ्‍र्यू के प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे, अर्थात कार्यालय यथावत जारी रहेंगा।

4. आरआरकेट मेडिकल सेन्टर (आर.एम.सी.) यथावत अपने समय के अनुसार ही खुलेगी तथा बन्द होगी।

5. केट उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित/सब्जी की दुकानें/ग्रेसरी की दुकानें सुबह 06:00 बजें से 10:00 बजें तक ही खुलेंगी।

6. कोरोना कफ्‍र्यू की इस अवधि में कोलोनी क्षेत्र में दूध का वितरण फेरी एवं दूध डेरी के माध्यम से प्रातः 10:00 बजें तक प्रतिदिन किया जाएगा।

7. विभिन्न घर पहुँच सेवाएं जैसे बीग–बास्केट, अमेजन, फ्लीप कार्ट, शॉप किराना, जोमेटों, स्वीगी आदि चालू रहेगी।

8. अन्य सभी गतिविधिया उपरोक्त आदेश संख्या 1737/री.ए.डी.एम./2021 दिनांक 11/04/2021 के अनुसार होगी।

9. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

13.4.21

(एस. एस. गोंडाणे)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

मेल ऑल

प्रतिलिपि :–

1. केट उपभोगता सहकारी भण्डार मर्यादित
2. सहायक कार्मिक अधिकारी (सामान्य) – दुकानदारो को निर्देश जारी करे।